SHRI K. P. SINGH DEO: Sir, the mechanism is by the Select Committee.

SHRI V. RAJESHWAR RAO: There should be a mechanism to select films. The Select Committee consists of certain members. What are the criteria?

MR. CHAIRMAN: Have you already laid down the criteria?

SHRI K. P. SINGH DEO: Yes, Sir. It is mentioned in part (d) of the answer.

SHRI V. RAJESHWAR RAO: Is there any committee constituted to select all these films? And, if so, when was it constituted?

MR. CHAIRMAN: Do you have anything to say on this?

SHRI K. P. SINGH DEO: The Committee is selected by a panel of the Doordarshan. There are five non-officials who are members of this Committee. These people are eminent journalists, media consultants, theatre personalities and administrators.

SHRI V. RAJESHWAR RAO: When was this Committee constituted?

MR. CHAIRMAN: I am sorry, Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Andhra Pradesh Government's request for floating Bonds

*443. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government of Andhra Pradesh have sought permission for floating bonds for improving the communication network in Andhra Pradesh; and

(b) if so, what are the details thereof and what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Yes, Sir. In November 1991 the Andhra Pradesh Government had approached the Government of India for approval for floatation of bonds for financing the road communication in the state.

The present Scheme of Public Sector Bonds is restricted to only those undertakings which are wholly or partly owned by Central Government, State level undertakings are to be governed by SEBI guidelines on debentures. Borrowings by the State Government are governed by the standard requirements of financing annual plan as approved by the Planning Commission.

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश में कमी

*445. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अनिवासी भारतीयों के माध्यम से होने वाले विदेशी निवश की दर में लगातार कमी आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनिवासी भारतीयों को दी गई रियायतों का फायदा केवल बड़े विदेशी निवेशकों को ही हो रहा है ;

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों को दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) :(क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1990–92 की अवधि के दौरान अनिवासी भारतीयों से प्राप्त स्वीकृत निवेश प्रस्ताव इस प्रकार हैं :–

वर्ष	करोड़ रुपए में
1990	5.24
1991	19.70
1992	439.13

(ग) जी, नहीं। सभी अनिवासी भारतीय निवेशक चाहे वह बड़े हों अथवा छोटे, समान लाभ पाने के हकदार हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) अनिवासी भारतीयों को दी गई रियायतों में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं:

1 अनिवासी भारतीयों और समुद्रपारीय निगमित निकाय को मुख्य रूप से उनके स्वामित्व में हैं, को कतिपय शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन उच्च प्राथमिकता और अन्य उद्योगों में निवेशित पूंजी के पूर्ण प्रत्यावर्तन और उस पर अर्जित आय सहित शत-प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के निवेश की अनुमति दी जाती है। जिन अतिरिक्त क्षेत्रों में, शत-प्रतिशत अनिवासी भारतीय निवेश की अनुमति प्रत्यावर्तन लाभों के साथ दी गई है, उनमें पर्यटन, अस्पताल और निर्यातोन्मुख इकाइयां शामिल हैं।

2 अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय निगमित निकायों को कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत स्टाक एक्सचेंजों में उदघृत इक्विटी शयर परिवर्तनीय ऋण पत्रों में निवशित पूंजी और उससे अर्जित आय पर पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभों के साथ "पोर्टफोलियो" निवश करने की सुविधा प्रदान की गई है।

3 प्राथमिक पूंजी मेंबाजारों अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय निगमित निकायों के लिए "स्टाक इनवेस्ट" स्कीम उपलब्ध है।

4 भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना गृह-सम्पत्ति प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त अब जमीन जायदाद, आवासीय और इसके आधारभूत संरचना जैसे पूर्व वर्जित क्षेत्रों में अप्रत्यावर्तन आधार पर शत-प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय निवश की अनमति दी गई है।

राजस्थान में दूरदर्शन केन्द्रों का खोला जाना

*447. **श्री मूलचन्द मीणा :**
श्री इकबाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उच्च और कम शक्ति के ट्रांसमीटर वाले दूरदर्शन केन्द्र खोलने के लिए राजस्थान के किस-किस स्थान का चयन किया गया है ;

(ख) इस संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के (क) से (घ) राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : राजस्थान में टी०वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार सहित विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हालांकि देश में 1992–93 के